द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिजावर जिला छतरपुर, (म0प्र0)

(सदस्य – मनोज कुमार शर्मा)

Registration No MACC-41/2020
Filing No MACC-124/2020
CNR NO-MP16050006762020
Filing Date-05-08-2020

1. श्रीमती तारा यादव पत्नी स्व. सत्येन्द्र यादव आयु 25 वर्ष,
2. हनुमत यादव पुत्र स्व. सत्येन्द्र यादव आयु 11 वर्ष,
3. कृष्णकांत पुत्र स्व. सत्येन्द्र यादव आयु उम्र 8 वर्ष,
   आवेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा बलीसरपरस्त मां श्रीमती तारा यादव पत्नी स्व. सत्येन्द्र यादव
4. श्रीमती इन्द्रेश पत्नी श्री मोहनलाल यादव उम्र 50 वर्ष,
5. मोहनलाल उर्फ मौललाल यादव पुत्र भरोषीलाल उम्र 54 वर्ष,
   समस्त निवासी ग्राम हनुमतपुरा थाना बल्देवगढ़,
   जिला टीकमगढ म.प्र.

–––––आवेदकगण

::विरूद्ध::

1. फैज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 39 वर्ष,
   निवासी नूरानी कालोनी बसारी दरवाजा वार्ड नंबर 19, जिला छतरपुर म.प्र.
   (चालक वाहन कार क्र. एम.पी.16 सी. 7147)

2. मोहम्मद वली पुत्र मोहम्मद अजीम उल्लाह उम्र 43 वर्ष,
   निवासी हाउसिंह बोर्ड कॉलोनी रोड मस्जिद हुसैनी वार्ड नंबर 14, पहाडिया छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.
   (पंजीकृत स्वामी वाहन कार क्र. एम.पी.16 सी. 7147)

3. शाखा प्रबंधक, दि न्यू इंण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
   शाखा कार्यालय बुन्देलखण्ड गैरिज जवाहर मार्ग छतरपुर,
   जिला छतरपुर म.प्र.
   (बीमा कम्पनी वाहन कार क्र. एम.पी.16 सी. 7147)

–––अनावेदगण

आवेदकगण द्वारा – श्री जे.आर. शांडिल्य अधिवक्ता।
अनावेदक क. 1 व 2 द्वारा – श्री रामगनेश मिश्रा अधिवक्ता।
अनावेदक क. 3 द्वारा – श्री एस.एस. रावत अधिवक्ता।

// **अधिनिर्णय** //

(आज दिनांक 13.10.2022 को घोषित किया)

01. आवेदकगण ने यह दावा अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 09.03.2020 को वाहन कार कमांक एम.पी.16 सी. 7147 से कारित दुर्घटना के फलस्वरूप सत्येन्द्र यादव की मृत्यु होने पर 1,82,35,000/–(एक करोड बयासी लाख पैतीस हजार) रूपये क्षतिपूर्ति राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

02. दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2020 को मृतक सत्येन्द्र यादव पुलिस थाना भगवां में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह रात्रि गस्ती की ड्यूटी में ग्राम सौरखी गया था जहां से रात्रि में 10 से 11 बजे के मध्य अपनी मोटरसाइकिल से घुवारा आ रहा था, जैसे ही वह ग्राम सौरखी में मुख्य मार्ग पर मुलुवा चढार के खेत के पास पहुंचा तभी पीछे से कार कमांक एम.पी.16 सी 7147 के चालक ने कार को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुये सत्येन्द्र यादव की मोटरसाइकिल में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह फिकाकर रोड के किनारे बगल में खदान में मोटरसाइकिल सहित गिर गया एवं बेहोश हो गया। मौके पर उपस्थित दयाराम यादव पिता बृन्दावन यादव निवासी कुडेला ने घटना देखी और 100 नंबर डायल को बुलाया जिस पर तत्काल उसे पुलिस द्वारा अस्पताल टीकमगढ में भर्ती कराया किंतु हालत गंभीर होने से झांसी के लिए रेफर कर दिया। सत्येन्द्र यादव का चिरंजीवी हॉस्पिटल झांसी में दिनांक 11.03.2020 से 16.03.2020 तक इलाज चला किंतु हालत ठीक न होने से दिनांक 16.03.2020 से 17.03.2020 तक अपोलो हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती रहा किंतु डॉक्टर ने गंभीर हालत होने से दिल्ली के लिये रेफर कर दिया किंतु पैसे की कमी के कारण उसे वापस टीकमगढ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 17.03.2020 को रात्रि में सत्येन्द्र यादव की मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान मृतक पर 600000/–रूपये से अधिक व्यय हो चुका था किंतु मृतक की जान नहीं बच सकी और उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 18.03.2020 को उसका पी.एम. किया गया और शव परिजनों को सौप दिया गया, परिजनों द्वारा ग्राम हनुमतपुरा में उसका अंतिम संस्कार किया गया।

03. पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय टीकमगढ में डॉ. की तहरीर पर मर्ग कमांक 19/20 दर्ज किया गया एवं मर्ग डायरी के आधार पर पुलिस चौकी घुवारा में पदस्थ उपनिरीक्षक संदीप खरे द्वारा चौकी के मर्ग कमांक 54/20 पर असल मर्ग कायम करते हुये जांच के उपरांत थाना भगवां में अपराध कमांक 277/20 धारा 279, 304ए भा.दं.सं. एवं धारा 184 एम.व्ही.एक्ट पंजीबद्ध

किया गया जिसमें वाहन चालक फैज मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया एवं कार क्रमांक एम.पी. 16 सी. 7147 को जप्त किया गया। घटना दिनांक को मृतक सत्येन्द्र यादव 29 वर्षीय हृष्ट पुष्ट नौजवान पुलिस आरक्षक 851 था, जो दिनांक 04.05.2013 से मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षक के रूप में पदस्थ होकर शासकीय सेवा कर रहा था जिसे मृत्यु दिनांक तक 26949 / —रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त होता था जिसमें से 2984 रूपये कटते थे और शासन द्वारा शासकीय सेवकों को दिये जाने वाले वेतन भत्ते महंगाई भत्ते आवासीय सुविधा और सभी प्रकार की ग्रेच्यूटी एवं वेतनवृद्धियां समयानुसार प्रदान की जाती थीं। मृतक 29 वर्ष का था एवं आने वाले समय में उसके कई प्रमोशन होने थे। मृतक अपनी कमाई आवेदकगण पर व्यय करता था। अनावेदक क्रमांक—1 द्वारा तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित कर सत्येन्द्र की मृत्यु कारित की गयी है। मृतक के परिवार को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः आवेदकगण का दावा स्वीकार कर उन्हें अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 1,82,35,000 / —रूपये दिलाये जावे।

04. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से संयुक्त रूप से जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदकगण द्वारा किये गये समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये, विशेष कथन में यह व्यक्त किया गया है कि आवेदन पत्र में लेख की गई कथित घटना पूर्णतः असत्य है। मृतक स्वयं अपनी मोटरसाइकिल तेजी व लापरवाही से चला रहा था और इसी वजह से वह स्वयं रोड पर मील के पत्थर से टकरा गया जिससे उसे चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। मारूति कार क्रमांक एम.पी. 16 सी 7147 के चालक के द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देना केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर असत्य रूप से बताया गया है जबकि अनावेदकगण के वाहन से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। आवेदकगण ने आवेदक द्वारा चलाई जा रही मोटरसाइकिल के मालिक एवं बीमा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है। यदि अधिकरण द्वारा साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना उचित माना जाता है तो, कथित घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के पास वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंस था एवं अनावेदक क्रमांक 2 का वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के कार्यालय में असीमित दायित्वों के लिये बीमित था जिससे सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का है।

05. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये आवेदकगण द्वारा किये गये समस्त अभिवचनों को अस्वीकार किया गया है तथा विशेष कथन में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 09.03.2020 को ग्राम सोरखी घुवारा आम रोड, मुलुवा चढार के खेत के पास वाहन कार क्रमांक एम.पी. 16सी 7147 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर अनावेदक कमांक 1 के द्वारा

कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई थी। वास्तविकता में मृतक सत्येन्द्र स्वयं अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाये जाने के कारण सडक पर फिसलकर गिरने के परिणामस्वरूप दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिस के लिये मोटरसाइकिल का चालक सत्येन्द्र स्वयं ही जिम्मेदार था। आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा का समर्थन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ही नहीं होता है। कार क्रमांक एम.पी.16सी 7147 का किसी भी प्रकार से दुर्घटना में संलिप्त होना प्रमाणित न होने से आवेदकगणों का क्षतिपूर्ति आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। थाना भगवां में उ.नि. संदीप खरे द्वारा कथित घटना दिनांक 09.03.2020 की रिपोर्ट 82 दिन बाद अत्यधिक बिलंब से दिनांक 30.05.2020 को अज्ञात के विरूद्ध दर्ज की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक तक अज्ञात वाहन व उसके चालक की कोई जानकारी पुलिस को नहीं लगी थी इसी कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन अथवा चालक का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तविकता में कार क्रमांक एम.पी.16 सी 7147 कथित दुर्घटना में संलिप्त ही नहीं थी और न ही मृतक सत्येन्द्र यादव की मोटरसाइकिल के अलावा अन्य कोई वाहन संलिप्त था। अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारकर भाग जाने से मृतक सत्येन्द्र यादव के साथ हुई दुर्घटना स्पष्टतः ''हिट एण्ड रन'' का प्रकरण है जो कि अधिकरण की श्रवण क्षेत्राधिकार के बाहर होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

06. कथित दुर्घटना में वास्तविक रूप से संलिप्त मोटरसाइकिल के चालक मृतक सत्येन्द्र यादव का चालक अनुज्ञापत्र प्रस्तुत न किया जाना स्वमेव प्रमाणित करता है कि मृतक कुशल चालक नहीं था। कथित दुर्घटना स्वयं मृतक द्वारा मोटरसाइकिल को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये सडक के मध्य आमने सामने से टकरा दिये जाने के कारण संयुक्त/योगदायी उपेक्षा एवं असावधानी का उत्तरदायी होने से मुआवजे की धनराशि में अनुपातिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कटौती किया जाना विधि एवं न्यायसंगत है। मृतक सत्येन्द्र द्वारा स्वयं चलाई जा रही मोटरसाइकिल के मालिक व बीमा कम्पनी के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत न करते हुये प्रकरण में पक्षकार न बनाये जाने से, प्रकरण पक्षकारों के असंयोजन/कुसंयोजन दोष के कारण चलने योग्य नहीं है। दिनांक 09.03.2020 को वाहन कार क्रमांक एम.पी.16 सी 7147 के प्रयोग से कोई सडक दुर्घटना घटित न होने से कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ था। आवेदकगणों द्वारा कथित घटना दिनांक से कानूनन निर्धारित समयावधि के बाहर प्रस्तुत क्षतिपूर्ति आवेदन श्रवणक्षेत्राधिकार के बाहर होने से सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

07. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्न लिखित वादप्रश्नों की विरचना की गयी, जिनके समक्ष मेरे निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 09.03.2020 को समय 10:00 पी.एम. बजे घटनास्थल मुलुवा चढार के खेत के पास ग्राम सोरखी घुवारा मुख्यमार्ग अंतर्गत थाना भगवां जिला छतरपुर अंतर्गत अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अपने आधिपत्य के वाहन क्रमांक एम.पी.16 सी. 7147 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की?	**''प्रमाणित''**
2	क्या घटना में आई चोटों के कारण सतेन्द्र यादव की मृत्यु कारित हुई?	**''प्रमाणित''**
3	क्या वाहन क्रमांक एम.पी.16 सी. 7147 के चालक द्वारा वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में चलाया, यदि हां तो परिणाम?	**''प्रमाणित नहीं''**
4	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से प्रतिकर स्वरूप राशि 1,82,35,000(एक करोड बयासी लाख पैतीस हजार रूपये) रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?	**कंडिका क. 38 के अनुसार**
5	सहायता एवं व्यय ?	**कंडिका क्रमांक 39 अनुसार**

विवेचना एवं निष्कर्ष

08. आवेदकगण की ओर से अपने दावे के समर्थन में आवेदिका तारा यादव आ.सा.1, दयाराम यादव आ.सा.2 एवं मौललाल आ.सा.3 का परीक्षण अधिकरण के समक्ष कराया गया है तथा प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 259—सी तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, जबकि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से फैज मोहम्मद अना.सा.1 का परीक्षण अधिकरण के समक्ष कराया गया है एवं प्रदर्श डी—1 सी लगायत प्रदर्श डी—3 सी तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

वाद प्रश्न क. 01 व 02:—

09. आवेदिका तारा यादव आ.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त

किया है कि घटना दिनांक 09.03.20 को उसका पति सतेन्द्र यादव पुलिस थाना घुवारा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा रात्रि गस्त की ड्यूटी के दौरान ग्राम सोरखी गया हुआ था, जहां से वह अपनी मोटरसाइकिल से वापस घुवारा चौकी आ रहा था। इसी दौरान रात्रि के लगभग 10—11 बजे ग्राम सोरखी में मुख्य मार्ग पर मुलुआ चढार के खेत के पास उसे पीछे से कार क्रमांक एम.पी. 16 सी. 7147 के चालक ने उक्त कार को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसका पति मोटरसाइकिल सहित दूर फिकाकर गिर गया और बेहोश हो गया। तभी मौके पर उपस्थित दयाराम यादव ने घटना देखी और 100 नंबर डायल को बुलाया तब तत्काल पुलिस द्वारा उसके पति को टीकमगढ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गम्भीर होने से उसे झांसी के लिये रेफर किया गया।

10. आवेदिका तारा यादव ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसका पति चिरंजीवी हॉस्पिटल झांसी में दिनांक 10.03.2020 से 16.03.2020 तक भर्ती रहा व उसका इलाज चला, किंतु हालत ठीक न होने से उसे अपोलो अस्पताल ग्वालियर में भर्ती कराया गया जहां वह 16.03.20 से दिनांक 17.03.20 तक भर्ती रहा, किंतु डॉक्टर द्वारा गम्भीर हालत होने से उसके पति को दिल्ली रेफर कर दिया, तब पैसों की कमी के कारण उसके पति को वापस जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में भर्ती करया गया जहां दिनांक 17.03.20 को रात्रि में उसके पति सत्येन्द्र यादव की मृत्यु हो गई।

11. आवेदिका तारा यादव की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में थाना भगवां के अपराध क्रमांक 277/2020 धारा 304ए भा.दं.सं. एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम में न्यायालय जेएमएफसी बड़ामलहरा में प्रस्तुत अभियोग पत्र जिसका आपराधिक प्रकरण क्रमांक 328/2020 ''शासन विरूद्व फैज मोहम्मद'' प्रपी0 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी0 2, देहाती नालिसी प्रपी0 3, अपराध विवरण फार्म प्रपी0 4, मृतक की प्रीएमएलसी प्रपी0 5, जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ का पर्चा प्रपी0 6, सफीना फार्म प्रपी0 7, नक्शा पंचायतनामा दिनांक 18.03.2020 प्रपी0 8, शव परीक्षण के लिये आवेदन एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18.03. 20 प्रपी0 9, सम्पत्ति जप्ती पत्रक क्रमशः प्रपी0 10 लगायत प्रपी0 14, वाहन कार क्रमांक एम.पी. 16 सी 7147 का मैकेनिकल परीक्षण प्रपी0 15 की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ का पर्चा प्रपी0 16, ब्लड बैक की रिपोर्ट प्रपी0 17, महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कॉलेज झांसी का जॉच पर्चा प्रपी0 18, महारानी लक्ष्मीवाई मेडीकल कॉलेज झांसी का चोट प्रपत्र प्रपी0 19, चिरंजीवी अस्पताल का डिस्चार्ज स्लिप प्रपी0 20, अपोलो अस्पताल की जॉच रिपोर्ट प्रपी0 21 लगायत 25, चिरंजीवी मेडीकल सेन्टर झॉसी की रिपोर्ट प्रपी0 26, रूवी

पैथालोजी की रिपोर्ट प्रपी0 27 लगायत 31, भद्रकाली डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च इन्सट्ीट्यूट की जांच रिपोर्ट प्रपी0 32 लगायत 39, प्रिसक्रिप्सन पर्चा प्रपी0 40 लगायत 120, दवाईयो के बिल प्रपी0 121 लगायत 233, रेडियो मीटर फ्लैक्स रिपोर्ट प्रपी0 234 लगायत 250 है। मृतक का ड्राईविग लाईसेस प्रपी0 251, अकाल मृत्यु की सूचना प्रपी0 252 अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं।

12. प्रतिपरीक्षण में आवेदिका ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके स्वयं कार क्रमांक एम.पी. 16 सी 7147 से कोई घटना कारित होते हुये नहीं देखी है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 13 में आवेदिका ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 17.03.20 से तीन माह तक उसने तथा उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि कोविड–19 के कारण लॉकडाउन होने से आना जाना प्रतिबंधित था। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके मृतक पति की अस्थियां भी दो माह बाद इलाहाबाद ले जायी गई थीं।

13. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दयाराम आ.सा.2 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह दिनांक 09.03.20 को ग्राम सोरखी स्थित किशोरी यादव के खेत पर बनी टपरिया पर बैठा था इसी दौरान रात्रि के लगभग 10–11 बजे सोरखी से घुवारा जा रहे सतेन्द्र यादव की मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही कार के चालक ने उक्त कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर ओवरटेक करने की कोशिश में जोरदार टक्कर मार दी। वाहन टकराने की आवाज आने पर उसने देखा तो उसे वाहन जाता हुआ दिखाई दिया इसके बाद उसने 100 डायल पर पुलिस को सूचना दी तब पुलिस मौके पर आई और सतेन्द्र यादव को घायल अवस्था में उठाकर ले गई। बाद में उसे यह पता चला था कि घायल व्यक्ति सतेन्द्र यादव घुवारा चौकी मे आरक्षक के पद पर पदस्थ था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि बाद में पुलिस उसके पास आई थी और घटना के संबंध में उसके बयान लिये थे।

14. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने अनावेदक पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने घटना घटित होते हुये नहीं देखी थी। साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि घटना रोड की है और उसकी टपरिया रोड के पास ही बनी हुई है। वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर नहीं देख पाया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 6 में साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि दुर्घटना कारित करने वाला वाहन घटनास्थल पर एक–दो मिनट रूका था इसके बाद चला गया था। दुर्घटना के समय उसके साथ अन्य कोई नहीं था, मृतक सतेन्द्र यादव भी

मोटरसाइकिल पर अकेला था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसने घटना की सूचना डायल 100 नंबर पर दी थी पुलिस घटना घटित होने के आधे घंटे बाद घटनास्थल पर आ गई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा 8 में साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि मृतक सतेन्द्र यादव की स्वयं की मोटरसाइकिल स्लिप होने से गिर गई थी जिससे उसे चोट आई थी।

15. अनावेदक कमांक 1 फैज मोहम्मद अना.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का ड्रायविंग लाईसेंस प्रदर्श डी— 1 सी, वाहन कार कमांक एम.पी.16सी. 7147 के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रदर्श डी—2 सी व उक्त वाहन की बीमा पॉलिसी(बीमा अवधि दिनांक 11.08.19 से 10.08.20) प्रस्तुत किये गये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक 09.03.2020 को वाहन कार कमांक एम.पी.16सी. 7147 का चालक था एवं अनावेदक कमांक 2 मोहम्मद बली उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी था उक्त वाहन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी में बीमित था। यद्यपि उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने घटना दिनांक को उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सोरखी से घुवारा आते समय मृतक सतेन्द्र यादव की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी थी। किंतु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त घटना के संबंध में उसके विरूद्ध थाना भगवां में मामला पंजीबद्ध हुआ था जो वर्तमान में न्यायालय बडामलहरा में विचाराधीन है। साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में उक्त वाहन जप्त किया गया था जिसे अनावेदक कमांक 2 ने न्यायालय बडामलहरा से अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसके विरूद्ध मामला फर्जी तरीके से बनाये जाने के संबंध में उसके द्वारा पुलिस के उच्च अधिकारियों को कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है।

16. अनावेदक कमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रकरण में लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुये यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका तारा यादव तथा आवेदक कमांक 3 मोल लाल प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दयाराम ने अपने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में कहीं भी वाहन कार कमांक एम.पी.16सी. 7147 से दुर्घटना घटित होने का कोई कथन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर नहीं देख पाया था। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत चिरंजीव अस्पताल का डिस्चार्ज टिकिट दिनांक 16.03.20 प्रदर्श पी 20 में भी पृथक ए से ए भाग पर सतेन्द्र की बाइक से दुर्घटना होने की बात लेख है कार से दुर्घटना होने की बात उल्लेखित

नहीं है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित है कि मृतक सतेन्द्र स्वयं की बाइक से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तथा उक्त दुर्घटना में अन्य कोई वाहन संलिप्त नहीं था। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा निरस्त किया जावे।

17. अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं—

न्यायदृष्टांत हरगोविन्द व अन्य विरूद्ध गिरिराज किशोर व अन्य एम.ए. 833—2004 में मान्नीय म.प्र. उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 01.02.18, श्रीमती पूनम यादव एवं अन्य बनाम नवाब एवं अन्य 2016(I) ए सी सी डी 421 इला. , ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम कलावती व अन्य 2015 (I) ए.सी.सी. 217 उच्च न्यायालय म.प्र.।

18. जबकि आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुये यह व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अपने साक्ष्य से अधिकरण के समक्ष दुर्घटना को प्रमाणित किया गया है। पुलिस थाना भगवां द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 फैज मोहम्मद के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडामलहरा के न्यायालय में उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत दुर्घटना सिद्ध पाये जाने पर भा.दं.सं. की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे यह प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन कार क्रमांक एम.पी.16सी. 7147 को चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की गई है जिसमें आरक्षक सतेन्द्र यादव की मृत्यु हुई है। अतः आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जावे।

19. आवेदकगण की ओर से अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं:—

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम श्रीमती रजनी कुमारी व अन्य 2013(I)दु.मु.प्र. 338 इला., सविता शर्मा एवं अन्य बनाम कैलाश चंद्र एवं अन्य 2014(III)दु.मु.प्र. 6 राज., रेनू तिवारी एवं अन्य बनाम श्रीमती पल्लवी पाण्डेय एवं अन्य 2014(III)दु.मु.प्र. 491 इला. प्रस्तुत किये गये हैं।

20. जहां तक दुर्घटना का प्रश्न है? आवेदिका मृतक की पत्नी तारा यादव आ.सा.1 द्वारा अपने कथनों में घटना का सम्पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, हालांकि उक्त साक्षी दुर्घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, किंतु मृतक की पत्नी दुर्घटना के पश्चात् मृतक के इलाज व उसकी मृत्यु तक उसके साथ रही

है। दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दयाराम आ.सा.2 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 09.03.20 को रात्रि के लगभग 10—11 बजे सतेन्द्र यादव की मोटरसाइकिल को पीछे से आ रही कार के चालक ने उक्त कार को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसमें जोरदार टक्कर मार दी थी तब दुर्घटना के पश्चात् उसके द्वारा ही डायल 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई थी। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने कथन में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर नहीं बताया है तथा इस संबंध में स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया है कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर नहीं देखा था। उपरोक्त साक्ष्य से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि मृतक सतेन्द्र की मोटरसाइकिल को घटना दिनांक को रात्रि के लगभग 10—11 बजे ग्राम सोरखी के पास एक अज्ञात कार के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक उक्त वाहन को चलाते हुये टक्कर मारी गई थी।

21. अविवादित रूप से दिनांक 09.03.20 की दुर्घटना के संबंध में दिनांक 03.05.20 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना भगवां में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 पंजीबद्ध की गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट थाना भगवां के मर्ग कमांक 13 / 20 धारा 174 दं.प्र.सं. की जांच के आधार पर अज्ञात वाहन के चालक के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई है किंतु प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 28.07.20 को उपनिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह परस्ते द्वारा प्रकरण में रामरतन द्वारा चौकी में लाकर पेश करने पर एक नंबर प्लेट जिस पर वाहन का नंबर एम.पी.16 सी 7147 लेख है, को जप्त किया गया है जिसके संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 10 बनाया गया है तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी फैज मोहम्मद के प्रस्तुत किये जाने पर चौकी में उसके आधिपत्य से वाहन कार कमांक एम.पी.16 सी 7147, उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड, बीमा व आरोपी का लाइसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 11 बनाया गया है। अनावेदक कमांक 1 ने स्वयं अधिकरण के समक्ष अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 09.03.20 को वह कार कमांक एम. पी. 16 सी 7147 का चालक था तथा उसके विरूद्ध थाना भगवां में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था जो वर्तमान में न्यायालय बडामलहरा में विचाराधीन है। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर मृतक सतेन्द्र यादव की मोटरसाइकिल में टक्कर मारने के तथ्य से इंकार किया है किंतु प्रतिपरीक्षण में ही यह भी व्यक्त किया है कि उक्त प्रकरण उसके विरूद्ध फर्जी तरीके से बनाये जाने के संबंध में उसने पुलिस के उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की है।

22. प्रकरण में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन हेतु

अनावेदक कमांक 3 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अनावेदक कमांक फैज मोहम्मद द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में की गई स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि उसके विरूद्ध दिनांक 09.03.20 को हुई दुर्घटना के संबंध में थाना भगवां में अपराध कमांक 277 / 2020 पंजीबद्ध किया गया था जिसमें सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत उसके विरूद्ध अभियोग पत्र प्रदर्श पी 1 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडामलहरा जिला छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

23. अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि पुलिस द्वारा थाना भगवां के अपराध कमांक 277 / 20 में असत्य रूप से विवेचना कर प्रदर्श पी 1 का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्श पी 8 के नक्शा पंचायतनामा दिनांक 17.03.20 व प्रदर्श पी 9 की शव परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण सतेन्द्र यादव की मृत्यु हुई है। न्यायदृष्टांत **बिमला देवी व अन्य वि. हिमाचल रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पो एवं अन्य 2009(3) ए.सी.सी.डी. 1210 (एस.सी.),** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दावाकर्तागण अधिसम्भाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपने वाद को स्थापित करेंगे —युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत का मानक ऐसे मामलों में प्रयोज्य नहीं होगा।

24. फलतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक 09.03.20 को ग्राम सोरखी घुवारा मुख्य मार्ग पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा वाहन कार कमांक एम.पी.16 सी 7147 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गई तथा उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण सतेन्द्र यादव की मृत्यु कारित हुई। अतः विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 03:—

25. उक्त वादप्रश्न अनावेदक कमांक 3 द्वारा अपने वादोत्तर में की गई आपत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसे प्रमाणित करने का भार भी अनावेदक कमांक 3 पर है, किंतु अनावेदक कमांक 3 की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि अनावेदक कमांक 1 फैज मोहम्मद अना.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का ड्रायविंग लाईसेंस प्रदर्श डी— 1 सी, वाहन कार कमांक एम.पी.16सी. 7147 के रजिस्ट्रेशन प्रदर्श डी—2 सी व उक्त वाहन

की बीमा पॉलिसी(बीमा अवधि दिनांक 11.08.19 से 10.08.20) प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि घटना दिनांक को दुर्घटना कारित करने वाला वाहन कार क्रमांक एम.पी. 16सी. 7147 को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध स्वर्णसिंह व अन्य ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1531</u>** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा कम्पनी द्वारा अपने बचाव में लिये गये आधार उसे अधिकरण के समक्ष साक्ष्य के द्वारा साबित करने चाहिये अर्थात् बीमा कम्पनी द्वारा बचाव में लिये गये आधारों को प्रमाणित करने का भार बीमा कम्पनी के उपर ही होता है। चूंकि बीमा कम्पनी की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में दिया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04:—</u>

26. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया है कि दिनांक 09.03.2020 को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का वाहन कार क्रमांक एम.पी.16सी. 7147 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की गई थी उक्त दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप सत्येन्द्र यादव की मृत्यु कारित हुई। दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना में लिप्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के पास बीमाकृत था किंतु बीमा की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं है।

27. जहां तक प्रतिकर की राशि के निर्धारण का प्रश्न है? इस संबंध में मृतक सत्येन्द्र यादव की आयु व आय के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दावे में घटना के समय मृतक की आयु 29 वर्ष होना दर्शाया गया है। साक्ष्य के दौरान आवेदिका तारा यादव अ.सा.1 व दयाराम अ.सा.2 ने मृतक की आयु 29 वर्ष होना बतायी है। आयु के संबंध में मृतक के पिता मौललाल यादव अ.सा.3 की ओर से साक्ष्य के दौरान मृतक की फरवरी 2020 की पे स्लिप प्रदर्श पी 253, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा मृतक का नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 255, मृतक का आधार कार्ड प्रदर्श पी 256—सी, पेनकार्ड प्रदर्श पी 257—सी, म.प्र. पुलिस विभाग द्वारा जारी मृतक का परिचय पत्र प्रदर्श पी 258—सी, अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त सभी दस्तावेजों में मृतक की जन्मतिथि दिनांक 20.06.1990 अंकित है। उक्त दस्तावेजों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर दुर्घटना के समय मृतक की आयु 30 वर्ष निर्धारित की जाती है।

28. मृतक सत्येन्द्र यादव की आय के संबंध में मृतक की पत्नी तारा यादव आ.सा.1 ने यह व्यक्त किया है कि उसका पति म.प्र. पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ था जिसे प्रतिमाह 26,949/—रूपये वेतन तथा अन्य भत्ते व सुख—सुविधायें शासन की ओर से प्राप्त होती थीं। इस संबंध में मृतक के पिता मौललाल यादव आ.सा.3 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों फरवरी 2020, की पे स्लिप प्रदर्श पी 253, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा मृतक का नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 255 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक का आरक्षक संवर्ग की भर्ती प्रक्रिया अगस्त—सितम्बर 2012 में चयनित उम्मीदवारों की सूची में चयन हुआ था, जिसके संबंध में, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 30.01.2013 कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर को प्रेषित किया गया था जिसके आधार पर दिनांक 24.04.13 को मृतक का नियुक्ति आदेश वेतनमान 5200—20200 तथा 1900 ग्रेड—पे(5680+1900) एवं शासन द्वारा समय—समय पर देय महंगाई भत्ते पर आरक्षक जी.डी. के रिक्त पद पर पुलिस बल छतरपुर में किया गया था। पुलिस विभाग से जारी मृतक की फरवरी 2020 की पे—स्लिप से स्पष्ट है कि मृत्यु के पूर्व उसे कुल 26,949 रूपये वेतन प्राप्त होता था। मृतक का बेसिक पे 23300/— एवं डी.ए. 2796 रूपये था। अतः कटौती इत्यादि के उपरांत मृतक की मासिक आय 26,096 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। उक्त दृष्टि से मृतक की वार्षिक आय 26,096X12 =3,13,152 /— रूपये निर्धारित की जाती है।

29. यद्यपि अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से लिखित बहस में यह व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अधिकरण के समक्ष मृतक की आय व उसका शासकीय नौकरी में कार्यरत होना तथा उसे 26,949 रूपये वेतन प्राप्त होना विधिवत् प्रमाणित नहीं किया गया है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से मान्नीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत श्री **नागरमल व अन्य विरूद्ध ऑरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी व अन्य सिविल अपील नंबर 448/2018 निर्णय दिनांक 19.01.2018** प्रस्तुत किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों जिनमें अभियोग पत्र, अपराध विवरण, मृतक का नियुक्ति आदेश उसका म.प्र. पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र व पे स्लिप क अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक शासकीय सेवा में होकर म.प्र. पुलिस का सिपाही था जिसे प्रतिमाह एक निर्धारित वेतन प्राप्त होता था। प्रदर्श पी 253 की पे स्लिप के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त पे स्लिप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छतरपुर के हस्ताक्षर व सील से जारी हुई है जिसमें मृतक का कुल वेतन 26,949 रूपये दर्शाया गया है। उक्त सभी दस्तावेज आवेदकगण की ओर से संदेह से परे प्रमाणित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उनपर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। जहां तक अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से प्रस्तुत

न्यायदृष्टांत का प्रश्न है उक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य व परिस्थितियां इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न हैं। अतः उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि इस प्रकरण में लागू नहीं होती।

30. मृतक की वार्षिक आय 3,13,152 रूपये निर्धारित की गई है। वर्ष 2019—20 में 2.5 लाख आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर का कटोत्रा किया जाना निर्धारित है। अतः कुल आय में से 2.5 लाख रूपये कम किये जाने पर शेष राशि 63,152 / —रूपये में से 5 प्रतिशत आयकर की राशि 3158 रूपये काटे जाने पर प्राप्त होने वाली राशि 59,994 रूपये होती है। इस प्रकार मृतक की कुल वार्षिक आय 2,50000+59994=309994 / —रूपये होती है। अतः आयकर की कटौती के उपरांत मृतक की वार्षिक आय 309994 / —रूपये निर्धारित की जाती है। मृतक पुलिस विभाग में स्थाई नौकरी में था, न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य 2017(4)ए.सी.डी.2106 एस.सी.** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के मृतक के लिये भावी प्रत्याशा का लाभ उसकी आय पर 50 प्रतिशत निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस प्रकार मृतक की वार्षिक आय में 50 प्रतिशत अर्थात 1,54,997 / —रूपये की वृद्धि किये जाने पर उक्त राशि 4,64,991 / —रूपये होती है।

31. आवेदन पत्र में मृतक पर आश्रितों की संख्या 5 होना दर्शाई गई है किंतु मृतक के पिता मोहनलाल उर्फ मौललाल को मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता है। न्यायदृष्टांत सरला वर्मा में प्रतिपादित विधि अनुसार मृतक पर केवल उसकी पत्नी, बच्चों एवं मां को ही आश्रित माना जा सकता है। इस प्रकार मृतक पर आश्रितों की संख्या कुल 4 है। इसलिये मृतक की आय का 1 / 4 भाग व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्चे में काटा जाना चाहिये, इस सम्बन्ध में न्याय दृष्टान्त **रेशमा कुमार वि. मदन मोहन 2013 ए.सी.जे. 1253 एवं न्याय दृष्टान्त सरला वर्मा वि.देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009ए.सी. जे.—1298 एस.सी.** अवलोकनीय है।

32. मृतक की वार्षिक आय 4,64,991 / —रूपये निर्धारित की गयी है। उक्त राशि का 1 / 4 भाग, 1,16,248 / —रूपये (जीवन निर्वाह खर्च) कम किये जाने पर आवेदकगण पर व्यय की जाने वाली राशि 3,48,743 / — रूपये होती है। न्याय दृष्टांत **सरला वर्मा** के मामले में दिये गये निर्देशानुसार 26 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति हेतु 17 का गुणक प्रयोज्य है। अतः वार्षिक आश्रयता हानि पर 17 के गुणांक से गुणा किये जाने पर राशि 3,48,743X17=59,28,631 / — (उनसठ लाख अठ्ठाईस हजार छः सौ इकत्तीस रूपये) होती है ।

33. न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य 2017(4) ए.सी.डी.2106 एस.सी.** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा दाह संस्कार में हुआ व्यय 15000/—रूपये, संपदा की हानि 15,000/—रूपये एवं साहचर्य की हानि 40,000/—रूपये निर्धारित की गई है।

34. मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Magma General Insurance Co. Ltd.** v. **Nanu Ram alias Chuhru Ram** and Ors. **AIR 2019 SC (Supp) 906** SUPREME COURT के मामले में साहचर्य के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया है —

8.7. A Constitution Bench of this Court in Pranay Sethi (AIR 2017 SC 5157) (supra) dealt with the various heads under which compensation is to be awarded in a death case. One of these heads is Loss of Consortium. In legal parlance, "consortium" is a compendious term which encompasses 'spousal consortium', 'parental consortium', and 'filial consortium'.

The right to consortium would include the company, care, help, comfort, guidance, solace and affection of the deceased, which is a loss to his family. With respect to a spouse, it would include sexual relations with the deceased spouse.3

3. Rajesh and Ors. v. Rajbir Singh and Ors. (2013) 9 SCC 54.

Spousal consortium is generally defined as rights pertaining to the relationship of a husband-wife which allows compensation to the surviving spouse for loss of "company, society, cooperation, affection, and aid of the other in every conjugal relation."4

4. BLACK'S LAW DICTIONARY (5th ed. 1979).

Parental consortium is granted to the child upon the premature death of a parent, for loss of "parental aid, protection, affection, society, discipline, guidance and training."

Filial consortium is the right of the parents to compensation in the case of an accidental death of a child. An accident leading to the death of a child causes great shock and agony to the parents and family of the deceased. The greatest agony for a parent is to lose their child during their lifetime. Children are valued for their love, affection, companionship and their role in the family unit.

Consortium is a special prism reflecting changing norms about the status and worth of actual relationships. Modern jurisdictions world-over have

recognized that the value of a child's consortium far exceeds the economic value of the compensation awarded in the case of the death of a child. Most jurisdictions therefore permit parents to be awarded compensation under loss of consortium on the death of a child. The amount awarded to the parents is a compensation for loss of the love, affection, care and companionship of the deceased child.

The Motor Vehicles Act is a beneficial legislation aimed at providing relief to the victims or their families, in cases of genuine claims. In case where a parent has lost their minor child, or unmarried son or daughter, the parents are entitled to be awarded loss of consortium under the head of Filial Consortium.

Parental Consortium is awarded to children who lose their parents in motor vehicle accidents under the Act.

A few High Courts have awarded compensation on this count5. However, there was no clarity with respect to the principles on which compensation could be awarded on loss of Filial Consortium.

The amount of compensation to be awarded as consortium will be governed by the principles of awarding compensation under 'Loss of Consortium' as laid down in Pranay Sethi (AIR 2017 SC 5157) (supra).

In the present case, we deem it appropriate to award the father and the sister of the deceased, an amount of Rs. 40,000 each for loss of Filial Consortium.

35. आवेदक क्रमांक 1 तारा यादव मृतक की पत्नी है, आवेदक क्रमांक 2 हनुमत यादव मृतक का पुत्र है, आवेदक क्रमांक 3 कृष्णकांत मृतक का पुत्र है अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में दाह संस्कार में हुआ व्यय 15000/—रूपये, संपदा की हानि 15,000/—रूपये एवं साहचर्य की हानि 40,000X3 = 1,20,000/—रूपये निर्धारित की जाती है।

36. मृतक सतेन्द्र यादव इलाज के दौरान टीकमगढ एवं दिनांक 10.03.20 से 16.03.20 तक चिरंजीवी अस्पताल झांसी तत्पश्चात् अपोलो अस्पताल ग्वालियर में भर्ती रहा है एवं दिनांक 17.03.2020 को उसकी मृत्यु हुई है। आवेदक तारा यादव आ.सा.1 की ओर से साक्ष्य के दौरान मृतक के इलाज के पर्चे बिल, पैथोलोजी रिपोर्ट आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। जिनसे यह स्पष्ट है कि दुघटना दिनांक से मृत्यु दिनांक तक मृतक के इलाज में कुल 2,66,043/—रूपये व्यय किये गये हैं। अतः मृतक के इलाज में व्यय की गई राशि भी आवेदकगण को दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

37. कुल क्षति राशि निम्नानुसार टेबिल के माध्यम से दर्शित की जा रही है:—

क्रमांक	मदों का विवरण	राशि
1	भविष्य में आय की हानि	59,28,631 / —
2	इलाज के मद में	2,66,043 / —
3	अंत्येष्टि क्रिया	15,000 / —
4	संपदा की हानि	15,000 / —
5	साहचर्य की हानि (40,000X3)	1,20,000 / —
	कुल राशि	63,44,674 / —

38. चूंकि आवेदक क्रमांक 5 मृतक पर आश्रित नहीं थे। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि आवेदक क्रमांक 1 लगायत 4, अनावेदगण से संयुक्तः अथवा पृथक पृथक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 63,44,674 / —रूपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया जाता है।

वाद प्रश्न क 05 :—

39. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम अंशतः स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:—

1. अनावेदकगण संयुक्त अथवा पृथक—पृथक रूप से सर्वप्रथम अनावेदक क्रमांक 3, आवेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को कुल राशि 63,44,674 / —रूपये— (तिरेसठ लाख चवालीस हजार छः सौ चौहत्तर रूपये) बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें।

2. अनावेदकगण संयुक्त अथवा पृथक—पृथक रूप से सर्वप्रथम अनावेदक क्रमांक 3, आवेदक क्रमांक 1 लगायत 4 को कुल राशि 63,44,674 / —रूपये— (तिरेसठ लाख चवालीस हजार छः सौ चौहत्तर रूपये) पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक—05.08.2020 से राशि वसूली दिनांक तक कुल 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज भी अदा करें।

3. उपरोक्त सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज के अधिकरण के खाते में जमा होने पर, आवेदक क्र.1 को बचत खाते के माध्यम से सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि की 40 प्रतिशत, आवेदक क्रमांक 2 , 3 व 4 को बचत खाते के माध्यम से सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि की क्रमशः 20—20 प्रतिशत राशि प्रदान की जावे। उक्त राशि में से आवेदक क्रमांक 1 को देय राशि का 1/2 भाग उसे बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान किया जावे तथा शेष 1/2 भाग उसके नाम, उसके इच्छित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिये सावधी खाते में जमा किया जावे। आवेदक क्रमांक 2 व 3 को देय सम्पूर्ण राशि उनकी व्यस्कता की अवधि तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा की जावे। आवेदक क्रमांक 4 को देय राशि का 1/2 भाग उसे बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान किया जावे तथा शेष 1/2 भाग उसके नाम, उसके इच्छित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में 3 वर्ष की अवधि के लिये सावधी खाते में जमा किया जावे।
4. प्रकरण में आवेदकगण को यदि धारा 140 मो.व्ही.एक्ट के अंतर्गत कोई अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि दी गयी हो, वह राशि कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे तथा देय राशि पर उसी अनुसार ब्याज निर्धारित किया जावे।
5. अनावेदकगण स्वयं अपना एवं आवेदकगण का भी व्यय वहन करेंगे।
6. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जावे।

''व्यय—तालिका बनायी जाये''

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।	मेरे निर्देश पर टंकित।
—सही— (मनोज कुमार शर्मा) द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बिजावर जिला छतरपुर (म.प्र.)	—सही— (मनोज कुमार शर्मा) द्वितीय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बिजावर जिला छतरपुर (म.प्र.)